न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 07/2025 अपील

उनवान

1. भारद्वाज अल्ट्रासाउण्ड एण्ड इमेंजिंग सेन्टर, सीताराम जी की बावडी, भीलवाडा जरिये संचालक/मालिक डॉक्टर मेघज भारद्वाज।

—अपीलार्थी

बनाम

1. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।

—प्रत्यर्थीगण

अपील अंतर्गत नियम 19 (1) पीसीपीएनडीटी एक्त 1994 विरूद्व निलम्बन आदेश दिनांक 26.02.2025 (पत्र आदेश प्रेषण एवं प्राप्ति दिनांक 06—03—2025)

उपस्थित —

1. अधिवक्ता अपीलार्थी — श्री नन्दकिशोर शर्मा।
2. प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता :: श्री दिनेश चन्द्र तिवाडी राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक :28.05.2025

1— अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से अपील अन्तर्गत नियम 19 (1) पीसीपीएनडीटी 1994 विरूद्व एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित आदेश के जरिये अपीलार्थी संस्थान के पंजीकरण को निलम्बित किया गया है। इस आदेश में प्रत्यर्थी द्वारा कही भी यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि यह आदेश किस विधिक प्रावधान के तहत निकाले गए हैं, क्योंकि अगर सम्बन्धित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया जावे तो अनिश्चित अवधि के लिए पंजीयन निलम्बन नहीं किया जा सकता। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 20(2) का अवलोकन किया जाना आवश्यक है:—If, after giving a reasonable opportunity of being heard to the Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic and having regard to the advice of the Advisory Committee, the Appropriate Authority is satisfied that there has been a breach of the provisions of this Act or the rules, it may, without prejudice to any criminal action that it may take against such Centre, Laboratory or Clinic, suspend its registration for such period as it may think fit or cancel its registration] as the case may be यहाँ जो शब्द उपयोग में लाया गया Such period इसका मतलब निलम्बन आदेश में यह बताना होगा कि निलम्बन की अवधि क्या होगी? इस कारण यह विधिविरूद्ध आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी का आक्षेपित आदेश पूर्णतः विधिविरूद्ध इसलिये भी है, क्योंकि यह पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नियम 18ए के उल्लंघन में जारी किया गया है। इस नियम 18ए के जरिये समुचित प्राधिकारी का code of conduct तय किया गया है। जिसकी कुछ मुख्य प्रावधानों निम्नानुसार है— 18(1) (III) conduct their work in a just manner without any bias or a perceived presumption of guilt. इस प्रावधान के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी द्वारा अखबार में प्रकाशित समाचार पर बिना कोई निष्पक्ष जांच किए समस्त विधि अनुसार रिकार्ड के संस्थान पर होते हुए केवल एकतरफा रूप से अपीलार्थी को दोषी मानकर पंजीयन निलम्बित किया गया है।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा